न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिसौली जनपद–बदायूँ।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या 109/2019
आरस बेगम नाम शमीम आदि

धारा 155(2) दं0 प्र0 सं0
थाना वजीरगंज
जिला बदायूँ।

दिनांक:28.05.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 155 (2) सी0 आर0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर एन0 सी0 आर0 संख्या 78/2019 में विवेचना कराये जाने का आदेश दिये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा एन0 सी0 आर0 नंबर 78/2019 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में मै इस मत का हूँ कि प्रस्तुत मामले में विवेचना कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित एंव न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र 155 (2) सी0 आर0 पी0सी0 तदानुसार निस्तारित किये जाने योग्य है ।

आदेश

संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह एन0 सी0 आर0 संख्या 78/2019 में विधि अनुसार विवेचना करें। प्रार्थनापपत्र 155(2) सी0 आर0 पी0सी0 तदानुसार निस्तारित किया जाता है। प्रार्थनापपत्र 155(2) सी0 आर0 पी0सी0 की प्रति संबंधित थाने को प्रेषित हो।

(अनुज कुमार जौहर)
न्यायिक दण्डाधिकारी, बिसौली,
बदायूँ।